राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)302005
ईमेल–dir-pen-rj@nic.in , दूरभाष न. 0141–2740538,2741687
वेबसाईटः– rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांकः– निपेवि / पीसी / ई–कुबेर / 2020–21 / 1825-1834-K दिनांकः– 21/12/2021

प्रबन्ध निदेशक,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेंशनल बैंक,
बैंक ऑफ बडौदा, यूकों बैंक, इंडियन बैंक,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
जयपुर।

विषयः– राज्य सरकार के पेंशनर्स के डाटा कोष कार्यालयो से मिलान कर Mismatch का समाधान करवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग के पत्र क्रमांक 1101–1135–K दिनांक 02.11.2021 द्वारा पेंशन / पारिवारिक पेंशनर्स के डाटा Mismatch का मिलान दिनांक 12.11.2021 तक पूर्ण करने हेतु भिजवाया गया था, इस विभाग के पत्रांक 1452–59–K दिनांक 03.12.2021 द्वारा स्मरण पत्र जारी कर उक्त कार्य दिनांक 08.12.2021 तक पूर्ण करने का अनुरोध किया गया था। विभाग के पत्रांक 1542–1549–K दिनांक 14.12.2021 द्वारा उक्त कार्य दिनांक 17.12.2021 तक पूर्ण कर निस्तारण की सूचना ई–मेल द्वारा भिजवाने का अनुरोध किया गया था। परन्तु उक्त कार्य अभी तक भी पूर्ण करने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

कोषाधिकारियो द्वारा लगातार प्रयास करने बावजूद आपकी बैंक शाखाओं एवं सीपीपीसी शाखा द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे Mismatch का निराकरण कर पेंशनर्स का डाटा शुद्वीकरण नहीं हो पा रहा है तथा पेंशनर्स को अधिक भुगतान की वसूली किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

अतः कृपया आप अपनी ओर से सीपीपीसी बैंक अधिकारियो एवं संबंधित बैंक शाखाओ को आवश्यक निर्देश जारी करावें ताकि उक्त डाटा Mismatch का निराकण किया जा सके।

भवदीय

(संजय सोलंकी)
निदेशक

OSD/Sir/256